

परिशिष्ट - 2
(54)

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर 492 002

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 03 / 03 / 2015

क्रमांक / 10361 / एफ-01 / 30 / विविध / 2014 / 14-2 :: भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक- 11018/15/2014-JT दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 के माध्यम से National e-Governance Plan (NeGP-A) अंतर्गत जारी विस्तृत दिशा-निर्देश के पृष्ठ क्र.-42 में परिशिष्ट IV अनुसार कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रमुख सचिव/सचिव कृषि की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय अन्तर्विभागीय "राज्य स्तरीय सशक्त समिति" का राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार गठन करती है :-

राज्य स्तरीय सशक्त समिति :-

1.	APC/Principal Secretary/Secretary (Agriculture)	Chairman
2.	Secretary (IT)	Member
3.	Director (Agriculture)	Member
4.	Director (Horticulture)	Member
5.	Director (Fisheries)	Member
6.	Director (Animal Husbandry)	Member
7.	Principal Secretary/ Representatives of Irrigation or Water Resources	Member
8.	Representatives of the State e-Governance Mission Team	Member
9.	State Informatics Officer	Member
10.	Representative of the Project e-Governance Mission Team	Member
11.	Representative of IMD	Member
12.	Representative of SAUs and ICAR Institutes	Member
13.	Any other officers of experts which the state Government may deem appropriate.	Member
14.	Director/ Representatives NIC	Member
15.	Joint Director (Agriculture)	Secretary

उपरोक्त "राज्य स्तरीय सशक्त समिति" का कार्य एवं जवाबदेही National e-Governance Plan (NeGP-A) अंतर्गत जारी विस्तृत दिशा-निर्देश के पृष्ठ क्र.-42 व 43 में किये गये उल्लेख अनुसार होगी। उक्त अन्तर्विभागीय समिति गठन करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के यू.ओ. क्र. 32 दिनांक 28.02.2015 द्वारा सहमति प्राप्त है।

(प्रदीप कुमार दवे)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

